न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद,
(अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या : 13/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 242/2024
पुलिस थाना : नसीराबाद सदर, अजमेर
जमानत आवेदन संख्या : - 64/2026
सी.आई.एस. संख्या : -64/2026
अपराध अन्तर्गत धारा : 8/15 एनडीपीएस एक्ट

शब्बीर खान पुत्र श्री सिराज मोहम्मद उम्र 23 साल निवासी भग्गा पुलिस थाना केहार जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

-- अभियोगी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

उपस्थितः-
1- श्री फिरोज खान - अधिवक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- अपर लोक अभियोजक- राज्य की ओर से

::आदेश:: **दिनांकः-13-03-2026**

01- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2024 सैशन प्रकरण संख्या 13/2024 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट पुलिस थाना नसीराबाद सदर, अजमेर में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का दिनांक 11-03-2026 को पेश किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02- बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर में एफ.आई.आर नं. 242/2024 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अभियुक्त को दिनांक 14-06-2024 को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त प्रकरण में दिनांक 17-04-2025 को अभियुक्त को आरोप विरचित कर सुनाया जा चुका है तथा प्रकरण जब्ती के गवाह पी.ड.1 की साक्ष्य लेखबद्व की जा चुकी है । प्रार्थी /अभियुक्त को झूंठा लिप्त किया है, प्रार्थी /अभियुक्त बीस माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी नवयुवक है तथा मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, तद्नुसार उसके फरार होने की भी कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण श्रीमान के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है व तैयार है। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

03- विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया।

04- पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा का विवरण-

नाम अभियुक्त	पुलिस अभिरक्षा	न्यायिक अभिरक्षा
शब्बीर खान	14-06-2024 से 18-06-2024	18-06-2024 से लगातार

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 14-06-2024 को समय 11.00

ए एम पर ट्रक संख्या एच आर 73 ए 4673 की तलाशी में प्लास्टिक के काले रंग के 09 कटटों में डोडा पोस्त छिलका कुल वजनी 179 किलो 09 ग्राम बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया जो अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे व आधिपत्य का था। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का आरोप है, प्रकरण में प्रार्थी /अभियुक्त राजदीन की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या एस बी क्रिमनल मिस बेल एप्लीकेशन नम्बर 1079/2025 राजदीन बनाम राज्य सरकार में अभियुक्त राजदीन की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-01-2025 जब्ती के गवाहान की साक्ष्य अभिलेख पर आने तक अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया है । उक्त अभियुक्त से प्रार्थी का प्रकरण भिन्न नहीं है। प्रकरण में जब्ती के गवाह रामस्वरूप पी.ड.1 की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण एवं अंतिम निस्तारण में समय लगने की संभावना है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी /अभियुक्त लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अन्वीक्षा में लगने वाले समय के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

05- अतः प्रार्थी/अभियुक्त शब्बीर खान पुत्र श्री सिराज मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्नुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 25,000/-रूपये 25,000/-रूपये की दो जमानत (जिनमें से एक जमानती अभियुक्त का निकटतम रिश्तेदार हो) एवं 50,000/रूपये का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय की संतुष्टीनुसार इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.13 16:07:18 +0530

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

06- आदेश आज दिनांक 13-03-2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।